Chhattisgarh
full of surprises

Request For Proposal

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतु वातानुकुलित/अवातानुकूलित बस किराये पर लिये जाने हेतु प्रस्ताव का आमंत्रण

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड न. 1, तेलीबांधा, रायपुर–492006 (छ.ग.)

दूरभाष–4224600, 4224611 फैक्सः 4066425

E-mail:visitcg@gmail.com Web: www.tourism.cg.gov.in

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिंगरोड न. 1,तेलीबांधा, रायपुर–492006(छ.ग.)

दूरभाष : (0771) 4224600, 4224611, 4224622 फैक्स : (0771) 4066425 ई–मेलः visitcg@gmail.com

Web: www.tourism.cg.gov.in

==

क्रमांक /परिवहन/पर्य./2018 रायपुर, दिनांकः / /2018

पर्यटकों के भ्रमण हेतु बसों की दरों की अल्प कालीन निविदा

राज्य में स्थित विभिन्न पर्यटन स्थलों मं पर्यटकों को बस से भ्रमण कराए जाने के लिए पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों से बसों की दरो के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है । निविदा प्रपत्र एवं निविदा की समस्त नियम शर्तें एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की वेबसाइट www.tourism.cg.gov.in से डाउनलोड कर अथवा मुख्यालय से कार्यालयीन समय 10.00 से 05.00 बजे तक नगद राशि रूपये 1000.00 जमा कर प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र क्रय करने तथा निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनॉक 17/01/2018 को सॉय 03.00 बजे तक । तकनीकि प्रस्ताव दिनांक 17/01/2018 को सॉय 04.30 बजे बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। वित्तीय प्रस्ताव की तिथि पृथक से सक्षम निविदाकर्ता को सूचित की जावेगी । उक्त निविदा में किसी प्रकार का यदि संशोधन को केवल उक्त वेबसाईड पर ही प्रदर्"ित किया जावेगा, इसका प्रका"ान समाचार पत्रों में नहीं किया जावेगा ।

हस्ता./–
प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

अल्पावधि– निविदा

प्रस्तावित कार्य (Scope Of Work):–

01. छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को भ्रमण कराने हेतु समय–समय पर वाहन का संचालन किया जाना।

न्यूनतम योग्यता (Minimum Eligibility):–

01. निविदाकर्ता के स्वामित्व में कम से कम 01 तथा 03 एसी या नान ए सी बसें अनुबन्धित होना अनिवार्य है। इसके प्रमाण हेतु इन बसों की आर. सी. बुक की छाया प्रति व अनुबन्धित बसों का अनुबन्ध में प्रदाय ट्रेवल एजेन्सियों का प्रमाण –पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
02. निविदाकर्त्ता एजेन्सी का गत तीन वित्तीय वर्ष (2013–14,2014–15,2015–16) का औसत टर्न ओव्हर राशि रूपये 10.00 लाख कम से कम होना अनिवार्य है। इस हेतु चार्टड एकाउन्टेंट का सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।
03. आयकर रिटर्न कर निर्धारण वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 संलग्न करना अनिवार्य है।
04. बसें परिवहन विभाग के नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए एवं बस के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना आवश्यक होगा। आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
05. बस का परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिये। आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
06. निविदाकर्ता का पेन नं., सर्विस टेक्सी जी.एस.टी. नं. व संस्था की पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

अन्य नियम एवं शर्ते :–

01. निविदा फार्म दिनांक 17/01/2018 को सॉय 03.00 बजे तक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, द्वितीय तल उद्योग भवन रिंग रोड नं. 01 कार्यालय से राशि रूपये 1000.00 (रूपये एक हजार) नगद भुगतान कर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की वेबसाइट www.tourism.cg.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है । डाउनलोड करने पर राशि रूपये 1000.00 का बैंकड्राफ्ट प्रबन्ध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के नाम बनाया जाना अनिवार्य है।
02 निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथी दिनांक 17/01/2018 को सॉय 03.00 बजे है। तथा निविदाओं के तकनीकि प्रस्ताव दिनांक 17/01/2018 को सॉय 04.30 बजे बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे।

03. निविदायें स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से दिनांक 17/01/2018 को सॉय 03.00 बजे तक स्वीकार की जावेंगी। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

04. लिफाफा ''**बी**'' में नियम व शर्तो के अनुसार मांगे गये समस्त दस्तावेज की छायाप्रति, के साथ अमानत राशि रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का रेखाकिंत डी.डी./बैकर्स चैक जो **"प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल रायपुर"** के नाम से देय हो संलग्न करें। तथा कार्यालय से नगद राशि रूपये 1000.00 में फार्म क्रय करने की स्थिति में मनी रसीद की छायाप्रति अथवा वेब साईट से डाऊनलोड किये जाने की स्थिति में राशि रूपये 1000.00 का राष्ट्रीयकृत बैंक का रेखाकिंत डी.डी./बैकर्स चैक जो **"प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल रायपुर"** के नाम से देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

05. लिफाफा ''**सी**'' में निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव रखा जाना अनिवार्य होगा। तथा इसे सीलबन्द किया जावे । साथ ही निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय प्रस्ताव स्वयं द्वारा अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। लिफाफे पर वित्तीय प्रस्ताव व निविदा कर्ता का नाम अंकित होना अनिवार्य है ।

06. लिफाफा ''**ए**'' जो एक बड़ा लिफाफा होगा उसमे लिफाफा ''**बी**'' एवं लिफाफा ''**सी**'' डाल कर उसे सील बंद कर लिफाफे के ऊपर **वातानुकूलित/अवातानुकूलित बसों की ''निविदा''** लिखकर इस कार्यालय में निर्धारित तिथी व समयावधि में इस निविदा प्रपत्र की नियम व शर्तो के अनुसार जमा कराना अनिवार्य होगा।

07. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन (Corrigendum) किये जाने पर उसकी सूचना केवल छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के वेबसाइट www.tourism.cg.gov.in पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं किया जावेगा।

08. पर्यटन मण्डल द्वारा सर्वप्रथम निविदाकर्ताओं के तकनीकि प्रस्ताव का परीक्षण करने उपरान्त निविदा के नियम व शर्तो के अर्न्तगत योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव तिथि निर्धारित कर व उसकी सूचना सम्बन्धित व सक्षम निविदाकर्ता को देकर उनके समक्ष खोले जायेगे ।

09. निविदाकर्ताओं के द्वारा वित्त्तीय प्रस्तावों में दी गई दरें उनके द्वारा प्रस्ताव जमा करने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी ।

10. वाहन में ईंधन, रख—रखाव व अन्य व्यय जिसमें ड्रायवर व कंडेक्टर के आवास व भोजन व्यवस्था व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगे इसकी प्रतिपूर्ति पर्यटन मंडल द्वारा नही की जावेगी ।

11. बसों का रोड टैक्स/बीमा/सेवा कर एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क (वन विभाग के प्रवेश शुल्क छोंड कऱ) आदि का भुगतान बस मालिक द्वारा किया जावेगा।

12. वित्तिय प्रस्ताव में रात्रि विश्राम (Night Halt) टोल नाका व्यय, परमिट व्यय, पार्किंग

व्यय व अन्य व्ययों सहित दरें प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

13. वाहन मालिक के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बसें उपयुक्त होनी चाहिए ।

14. बस खराब होने पर मरम्मत, या अन्य रख–रखाव हेतु बस मालिक द्वारा बस वापस लिये जाने कि स्थिति में बस मालिक द्वारा दूसरी समान सुविधा युक्त बस की व्यवस्था तत्काल करनी होगी। सक्षम निविदाकर्ता को आवश्यकतानुसार बस उपलब्ध कराने कि पूर्ण जिम्मेदारी बस मालिक की होगी।

15. किराये पर ली गयी बसें अच्छी स्थिति में नही पाये जाने पर उसे तत्काल हटा दिया जायेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा तथा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी । अतः आश्वस्त होवे कि बसों की स्थिति उत्तम हो व एयरकन्डीशन (AC) बस प्रदाय करने की स्थिति में उसका ए0सी0नियमित रूप से कार्य कर रहा हो।

16. देयक प्रस्तुत करने पर देयक का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा। अतः निर्धारित प्रारुप में RTGS/NEFT बैंक से सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाना होगा। वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन पर सर्विस टैक्स व अन्य समस्त शुल्क, कर्मचारियों का भविष्यनिधी राशि, फीस व अन्य दायित्व आदि के भुगतान के लिये वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा ।

17. वाहन चालन पर रखने की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल का होगा।

18. शर्तों का उल्लंघन करने पर बस को तत्काल हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा ।

19. प्राप्त सक्षम प्रस्तावों में न्यूनतम दरों की निर्धारण किया जावेगा तथा न्यूनतम दरें देने वाली एजेन्सी से सर्वप्रथम बसें ली जावेगी । तथा बस अवश्यकता अनुरूप निर्धारित न्यूनतम दरों तथा निविदा की नियम व शर्तो पर अन्य ट्रेवल एजेन्सियों से भी उपयुक्त बसें पर्यटन मण्डल किराये पर ले सकेगी ।

20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा। तथा न्यायालीन क्षेत्राधिकार रायपुर (छत्तीसगढ़) होगा।

21. कोई भी निविदा को किसी भी समय स्वीकार/अस्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के पास सुरक्षित रहेगा ।

22. पर्यटन स्थलों के भ्रमण के दौरान बस चालक एवं सह चालक (बस हेल्पर) द्वारा पर्यटकों एवं पर्यटन मंडल के बस में उपस्थित कर्मचारियों के साथ सौहाद्रपूर्ण व्यवहार बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं पर्यटन मंडल के प्रतिनिधी (कर्मचारी) के निर्देशन में यात्रा संचालित करनी होगी।

23. उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तो का पालन सुनिश्चित करने की समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।

——————

निविदा प्रपत्र (संस्था की जानकारी)
(''बी'' लिफाफा में तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें)

फार्म क्रमांक ....

दिनांक.................

1. निविदाकर्ता ट्रेवल एजेंसी का नाम :— ....

2. पूर्ण पता :— ....

:—...

3. ट्रेवल एजेंसी/संस्था के पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें :—

4. अमानत राशि रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार)मात्र राष्ट्रीकृत बैंक का डी.डी./बैंकर्स चैक क्रमांक ....दिनांक ....बैंक का नाम...............................

5. (अ) निविदा फार्म हेतु नगद जमा राशि रू. 1000.00 का एम. आर. नं. :—............................

दिनांक.........................

(ब) डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक क्रमांक..............................दिनांक ....

बैंक का नाम.....(डाऊन लोड करने की स्थिति में)

6. संस्था/प्रोपराईटर का पेन नम्बर की (छायाप्रति संलग्न करें) :— ....

7. संस्था/प्रोपराईटर का सर्विस टेक्स व जी.एस.टी. नम्बर :—..

8. निविदाकर्ता के स्वयं स्वामित्व में वाहनों की संख्या, एसी बसें:..............नॉन एसी बसें............

9. निविदाकर्ता से तीन ए0सी0 अथवा नान ए0सी0 बसे वर्तमान में अनुबंधित होने का प्रमाण—पत्र की तिथि ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम : ....

पता : ....

....

....

दूरभाष/मोबाईल नं. ....

ई —मेल -------------------------------------

वित्तीय प्रस्ताव

(''सी''लिफाफे मं रखकर उसे सील बंद किया जावे व लिफाफे पर "वित्तीय प्रस्ताव लिख")

अ

1ः— प्रति किलोमीटर दरें

स.क	भ्रमण स्थल	वाहन का प्रकार	वातानुकूलित बस दर प्रति किमी0 (रूपयें में)समस्त कर सहित						
			45—50 सीटर / स्लीपर	40—45 सीटर / स्लीपर	35—40 सीटर / स्लीपर	30—35 सीटर / स्लीपर	25—30 सीटर	18—25 सीटर	12—18 सीटर
1	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन स्थलों हेतु	ए सी (वातानु—कूलित)							

ब

स.क	भ्रमण स्थल	वाहन का प्रकार	अवातानुकूलित बस दर प्रति किमी0 (रूपयें में) समस्त कर सहित						
			45—50 सीटर / स्लीपर	40—45 सीटर / स्लीपर	35—40 सीटर / स्लीपर	30—35 सीटर / स्लीपर	25—30 सीटर	18—25 सीटर	12—18 सीटर
1	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन स्थलों हेतु	नॉन एसी (अवाता—नुकूलित)							

—अ—

वातानुकूलित बस दर

स.क	भ्रमण स्थल	वातानुकूलित बस दर प्रति किमी0 (रूपयें में) समस्त कर सहित						
		45—50 सीटर/ स्लीपर	40—45 सीटर/ स्लीपर	35—40 सीटर/ स्लीपर	30—35 सीटर/ स्लीपर	25—30 सीटर	18—25 सीटर	12—18 सीटर
1	रायपुर—जगदलपुर—चित्रकोट—दन्तेवाडा—चित्रकोट—तीरथगढ़—जगदलपुर—रायपुर (02 रात्रि 02 दिवस)							
2	रायपुर—सिरपुर—गिरोधपुरी—सिरपुर—बारनवापारा (01 रात्रि 02 दिवस)							
3	रायपुर—ताला—मल्हार—रतनपुर—रायपुर (01 दिवस)							
4	राजानादगॉव —जगदलपुर—चित्रकोट—दन्तेवाडा—चित्रकोट—तीरथगढ़—जगदलपुर — राजानादगॉव (02 रात्रि 02 दिवस)							
5	डोगरगढ़ —जगदलपुर—चित्रकोट —दन्तेवाडा— चित्रकोट —तीरथगढ़—जगदलपुर — डोगरगढ़ (02 रात्रि 02 दिवस)							
6	रायपुर—गंगरेल—माडम सिल्ली—गंगरेल—रायपुर (01 दिवस)							
7	रायपुर—सरोरादादर—रायपुर (02 दिवस)							
8	रायपुर—आमाडोम—अमरकंटक (कबीरचबूतरा)—रायपुर (02 रात्रि 02 दिवस)							
9	रायपुर—जतमई—घटारानी—राजिम—चम्पारण—रायपुर (01 दिवस)							
10	रायपुर द"ान(महंत श्री घासी दास संग्रहालय, विवेकानंद सरोवर,दूधाधारी मठ,नया रायपुर, पुरखौती मुक्तागंन, सत्यसाई मेडीकल इन्स्टीटृयूट्स, क्रिकेट स्टेडियम,वापस रायपुर) (01 दिवस)							
11	अम्बिकापुर—मैनपाट—अम्बिकापुर (बौद्ध मंदिर,टाईगर पांइट, मच्छली पाइंट,परपटिया,मेहता पाइंट,जलजली,) (02 दिवस)							

<u>नोटः</u>— समय—समय पर अन्य स्थलो हेतु भी प्रतिफेरे का निर्धारण किया जा सकता है ।

अवातानुकूलित बस दर

स.क	भ्रमण स्थल	अवातानुकूलित बस दर प्रति किमी0 (रूपयें में) समस्त कर सहित						
		45–50 सीटर / स्लीपर	40–45 सीटर / स्लीपर	35–40 सीटर / स्लीपर	30–35 सीटर / स्लीपर	25–30 सीटर	18–25 सीटर	12–18 सीटर
1	रायपुर–जगदलपुर–चित्रकोट–दन्तेवाडा–चित्रकोट–तीरथगढ़–जगदलपुर–रायपुर (02 रात्रि 02 दिवस)							
2	रायपुर–सिरपुर–गिरोधपुरी–सिरपुर–बारनवापारा (01 रात्रि 02 दिवस)							
3	रायपुर–ताला–मल्हार–रतनपुर–रायपुर (01 दिवस)							
4	राजानादगॉव –जगदलपुर–चित्रकोट–दन्तेवाडा–चित्रकोट–तीरथगढ़–जगदलपुर – राजानादगॉव (02 रात्रि 02 दिवस)							
5	डोगरगढ़ –जगदलपुर–चित्रकोट –दन्तेवाडा– चित्रकोट –तीरथगढ़–जगदलपुर – डोगरगढ़ (02 रात्रि 02 दिवस)							
6	रायपुर–गंगरेल–माडम सिल्ली–गंगरेल–रायपुर (01 दिवस)							
7	रायपुर–सरोरादादर–रायपुर (02 दिवस)							
8	रायपुर–आमाडोम–अमरकंटक (कबीरचबूतरा)–रायपुर (02 रात्रि 02 दिवस)							
9	रायपुर–जतमई–घटारानी–राजिम–चम्पारण–रायपुर (01 दिवस)							
10	रायपुर द”ान(महंत श्री घासी दास संग्रहालय, विवेकानंद सरोवर,दूधाधारी मठ,नया रायपुर, पुरखौती मुक्तागंन, सत्यसाई मेडीकल इन्स्टीट्यूट्स, क्रिकेट स्टेडियम,वापस रायपुर) (01 दिवस)							
11	अम्बिकापुर–मैनपाट–अम्बिकापुर (बौद्ध मंदिर,टाईगर पाइंट, मच्छली पाइंट,परपटिया,मेहता पाइंट,जलजली,) (02 दिवस)							

नोटः– समय–समय पर अन्य स्थलो हेतु भी प्रतिफेरा की दरो का निर्धारित किया जा सकता है ।
उपरोक्त, समस्त दरें समस्त प्रकार के कर, जीएसटी,परमिट फीस, रोड़ टेक्स, टोल टेक्स, नाईट हॉल्ट एवं अन्य समस्त प्रकार के व्ययों सहित है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम : ....

पता : ....

....

....

दूरभाष / मोबाईल नं. ....